अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क. एफ 27 (74) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूरी दर/ई. ओ. 65598/2014–15 जयपुर, दिनांक 07/नवम्बर, 2017

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद्, समस्त।

विषयः– ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या 8.4.5 के कम में प्रचलित बीएसआर दरों का 01 जुलाई से लागू GST दरों के कारण कमी/बढ़ोतरी के परिपेक्ष्य में जिला दर निर्धारण समिति की बैठक में समीक्षा कराने बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय पत्र कमांक एफ 27 (36) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/बीएसआर प्रगति /2015–16 दि. 19.09.2017 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.10.2017

सभी राज्यों में 01 जुलाई से GST लागू हो गया है, जिससे अधिकांश सामग्रियों में पूर्व में प्रचलित टैक्स व लागू GST दरों में कमी/बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या 8.4.5 पर वर्णित प्रावधानुसार "प्रचलित बीएसआर दर व बाजार दरों की समीक्षा तथा निर्धारण के अधिकार" जिला दर निर्धारण समिति में निहित है। इस कम में प्रासंगिक पत्र द्वारा जिला दर निर्धारण समिति स्तर पर निर्माण सामग्री पर पूर्व में प्रचलित टैक्स व 01 जुलाई से लागू GST दरों के कारण कमी/बढ़ोतरी के परिपेक्ष्य में पंचायत समितिवार नियमानुसार समीक्षा उपरान्त निर्णय अनुसार प्रचलित बीएसआर दरों में यदि संशोधन हो तो संशोधन संबंधी आवश्यक कार्यवाही 30 अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन अधिकांश जिलों में वांछित कार्यवाही अभी अपेक्षित है।

इसी कम में विभागीय पत्र दिनांक 26.10.2017 द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.11.2017 तक स्थापित कराने हेतु निर्देशों के उपरान्त भी जिलों से दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार जिला नागौर, कोटा, हनुमानगढ, झूंझूनु एवं पाली के अलावा अन्य किसी जिला परिषदों द्वारा वांछित कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की है, जो खेदजनक है। उक्त सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा समीक्षा उपरान्त समस्त कार्यवाही 20.11.2017 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय बीएसआर दरों का 01 जुलाई से लागू GST दरों के कारण कमी/बढ़ोतरी के परिपेक्ष्य में जिला दर निर्धारण समिति की बैठक में समीक्षा कर तदनुसार वांछित कार्यवाही दिनांक 20.11.2017 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर विभाग को अवगत करावें।

7.11.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एंव परावि।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एंव परावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

7/11/12

अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि

D:\ jay\ letter to district\ Letter.docx